

प्रतिवेदन

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य आख्या

परियोजना का नाम – कूल विरखन से सूड़ होते हुए प्यूड़ा इन्टर कॉलेज तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु समेकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

जनपद नैनीताल के में कूल विरखन सूड़ होते हुए प्यूड़ा इन्टर कॉलेज तक मोटर मार्ग के निर्माण 7.000 कि०मी० हेतु कार्य की स्वीकृति दो भागों में पृथक-पृथक शासनादेशानुसार निम्नवत हुई जिसके अनुसार प्रथम भाग की स्वीकृति नैनीताल में कूल विरखन सूड़ मोटर मार्ग का निर्माण ल० 4.00 कि०मी० की स्वीकृति शा०सं० 63/।।।-(2)/06-91(प्रा०आ०) / 05 दिनांक 16 जनवरी 2006 तथा द्वितीय भाग की स्वीकृति जनपद नैनीताल में प्यूड़ा इन्टर कॉलेज से कूल विरखन रोड तक 3.00 कि०मी० तक लिंक रोड का निर्माण नाम से शा०सं० 547/।।। (2)/09-44 (प्रा०आ०)/08 दिनांक 11 फरवरी 2009 के अनुसार प्राप्त हुई । भारत सरकार के द्वारा एस०ए०जी० की बैठक में निर्देशित किया गया है कि एक ही मार्ग हेतु अलग-अलग भागों में स्वीकृतियों वाले प्रकरणों में समेकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव एक साथ गठित कर प्रस्तुत किये जाये।

अतः भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में समेकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है ।

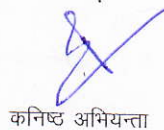
यह क्षेत्र फल, सब्जी उत्पादक क्षेत्र है। मोटर मार्ग काफी दूर होने से स्थानीय जनता को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जनता द्वारा शासन से बार-बार मोटर मार्ग की मांग करने के फलस्वरूप इस मोटर मार्ग हेतु उपरोक्त दो भागों में स्वीकृति प्रदान की गई है इस मोटर मार्ग के बन जाने से ग्राम कूल, विरखन, गैराड़ी, सूड़ कभड़ा, निगराड़, मल्ला प्यूड़ा एवं सतौली आदि गांवों की जनता लाभान्वित होगी।

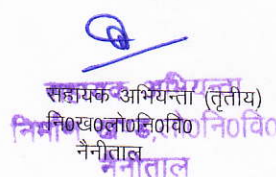
इस मोटर मार्ग की पूर्व स्वीकृति 4.00 कि०मी० के अर्न्तगत 3.00 कि०मी० भाग वृक्ष रहित नाप भूमि के अर्न्तगत आने के कारण जिसका निर्माण 3.00 कि०मी० लम्बाई में किया जा चुका है । शेष 4.00 कि०मी० लम्बे, 9.00 मी० चौड़े भू-भाग के अर्न्तगत विभिन्न प्रजाति के कुल 574 वृक्ष प्रभावित होते हैं जिनकी नियमानुसार संयुक्त निरीक्षण एवं गणना कर प्रस्ताव के साथ गणना सूची व मूल्यांकन प्रपत्र आदि संलग्न कर दिये गये हैं। मार्ग के अर्न्तगत आरक्षित वन भूमि 0.522 है०, कुल सिविल सोयम भूमि ग्राम सतौली, सतखोल, कभड़ा, सूड़ विरखन आदि गांवों की 0.765 है० वन पंचायत ग्राम सतौली की 0.171 है० तथा कुल नाप भूमि ग्राम सतखोल, सतौली, कभड़ा, सूड़, विरखन आदि की 2.142 है० प्रभावित होती है। विभागीय निदेशानुसार आरक्षित वन भूमि 0.522 है० वन पंचायत भूमि 0.171 है० तथा सिविल सोयम भूमि 0.765 है० कुल 1.458 है० का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नियमानुसार गठित कर निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग नैनीताल के नाम हस्तान्तरण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे हैं ।

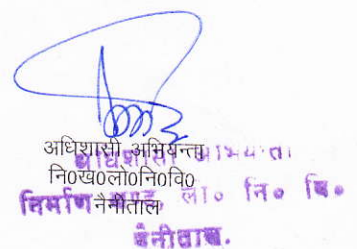
प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि हस्तान्तरण हेतु वन विभाग द्वारा निर्धारित आवश्यक नियमों एवं शर्तों का निर्माण खण्ड ल००नि०वि० नैनीताल द्वारा पालन किया जायेगा तथा प्रस्तावित वन भूमि विभाग के नाम हस्तान्तरित कर दिये जाने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग के अर्न्तगत आवश्यक एवं अपरिहार्य वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता (तृतीय)
नि०ख०लो०नि०वि०
नैनीताल


अधिसूची अभियन्ता
नि०ख०लो०नि०वि०
निर्माण नैनीताल
नैनीताल